फर्द अहकाम

न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

केस संख्या :- 29/2022 सरकार बनाम जगदीश

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|---|
| | 01.02.2022 | प्रार्थना पत्र प्रार्थी जगदीश ने लोक अदालत केम्प तहसीलदार कोटखावदा के द्वारा जगदीश पुत्र श्रवण मीणा निवासी रलावता का प्रार्थना पत्र ग्राम रलावता के खाता संख्या 10, 31, 112, 119 की जमाबन्दी में जग्गू पुत्र सरवण व ग्राम रलावता के खाता संख्या 56 में जगना पुत्र सवाई व ग्राम पृथ्वीपुरा के खाता संख्या 14 की जमाबन्दी में जग्गू पुत्र श्रवण के स्थान पर जगदीश पुत्र श्रवण शुद्ध करने का पत्र कमांक/भूअ/136/22/06 दिनांक 13.01.2022 के द्वारा मय दस्तावेज व पटवारी हल्का की रिपोर्ट के साथ भिजवाया गया जिसे काश्तकारी अधिनियम 136 के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर प्रार्थना पत्र व रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर रिपोर्ट व आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, सहकारी किसान कार्ड, ग्राम पंचायत ठिकरिया गुजरान सरपंच द्वारा जारी लेटर के प्रस्तुत दस्तावेज ग्राम रलावता व पृथ्वीपुरा की जमाबन्दी 2076–79 व 2075–78 के ग्राम रलावता के खाता संख्या 10, 31, 56, 112, 119 व ग्राम पृथ्वीपुरा के खाता संख्या 14 के मिलान क्षेत्रफल जमाबन्दी के दस्तावेज सबुत पेश किये गये जिनका परीक्षण किया गया।<br>ग्राम रलावता के खाता संख्या 10, 31, 112, 119 की जमाबन्दी में जग्गू पुत्र सरवण व ग्राम रलावता के खाता संख्या 56 में जगना पुत्र सवाई व ग्राम पृथ्वीपुरा के खाता संख्या 14 की जमाबन्दी में जग्गू पुत्र श्रवण के स्थान पर जगदीश पुत्र श्रवण शुद्ध करने किये जाने पर तहसीलदार की रिपोर्ट शपथ पत्र अनुसार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को धारा 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर नाम दुरूस्त करना उचित समझते है।<br>अतः प्रार्थना पत्र 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर ग्राम रलावता व पृथ्वीपुरा तहसील कोटखावदा की जमाबन्दी ग्राम रलावता के खाता संख्या 10, 31, 112, 119 की जमाबन्दी में जग्गू पुत्र सरवण व ग्राम रलावता के खाता संख्या 56 में जगना पुत्र सवाई व ग्राम पृथ्वीपुरा के खाता संख्या 14 की जमाबन्दी में जग्गू पुत्र श्रवण के स्थान पर जगदीश पुत्र श्रवण शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है व इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>उपखण्ड अधिकारी<br>चाकसू (जयपुर)<br>उपखण्ड अधिकारी<br>उपखण्ड (जयपुर) | |